# संसद की कार्यवाही के दौरान ली जाने वाली मदें

**शपथ और प्रतिज्ञान**

कोई सदस्य, जिसने संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसरण में पहले से शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वह सदन की बैठक के प्रारंभ में या सदन की बैठक के किसी अन्य समय, जैसा अध्यक्ष निर्देश दे, ऐसा कर सकता है।

**निधन संबंधी उल्लेख**

सदन दिवंगत सदस्य या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अंतिम श्रद्धांजलि देता है। आमतौर पर अध्यक्ष दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन को संबोधित करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री/सदन के नेता और विपक्ष के नेता संबोधित करते हैं। दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रखा जाता है। पीठासीन अधिकारी महासचिव को सदन का शोक संदेश शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुँचाने का निर्देश देते हैं।

**प्रश्नकाल**

- संसदीय प्रश्न संसदीय लोकतंत्र में प्रशासन पर संसदीय निगरानी की एक तकनीक है। इस प्रणाली में, सरकार अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति और संसद के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।
- प्रश्नकाल एक निर्धारित अवधि होती है जिसमें संसद सदस्यों को संसद सत्र के दौरान जनहित के विभिन्न मामलों के संबंध में मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है।
- यह अवधि आमतौर पर लोक सभा (भारतीय संसद के निचले सदन) में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के दौरान तथा राज्य सभा (भारतीय संसद के उच्च सदन) में प्रत्येक बैठक के दूसरे घंटे के दौरान होती है।
- प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न इस प्रकार हैं:

(i) तारांकित प्रश्न

- इन प्रश्नों के लिए मंत्रियों से मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है।
- इन प्रश्नों को तारांकन चिह्न द्वारा पहचाना जाता है।
- तारांकित प्रश्न प्रस्तुत करने वाले संसद सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।
- प्रतिदिन उत्तर दिए जाने के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों की संख्या 20 होती है।

(ii) अतारांकित प्रश्न

- इन प्रश्नों के लिए मंत्रियों से लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है।
- इन प्रश्नों को तारांकन चिह्न से नहीं पहचाना जाता है।
- अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत करने वाले संसद सदस्यों को **अनुपूरक प्रश्न** पूछने की अनुमति नहीं होती है
- प्रतिदिन उत्तर दिए जाने के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों की संख्या 230 होती है।

(iii) अल्प सूचना प्रश्न

- ये प्रश्न 10 दिन से कम समय की सूचना देकर पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न सार्वजनिक महत्व के मामलों से संबंधित एवं अत्यावश्यक प्रकृति के होने चाहिए।
- इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है ।

(iv) गैर-सरकारी सदस्यों के लिए प्रश्न

- मंत्रियों के अतिरिक्त, गैर-सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बशर्ते प्रश्न का विषय सदन के कार्य से संबंधित किसी विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो।

**प्रश्नों की स्वीकार्यता के बारे में कुछ शर्तें**

1. प्रश्न की शब्द सीमा 150 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. मामला प्राथमिक तौर पर भारत सरकार से संबंधित होना चाहिए।
3. मामला भारत के किसी भी भाग में अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय के निर्णयाधीन नहीं होना चाहिए।
4. इनमें गोपनीय प्रकृति के मामलों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जानी चाहिए।

**विशेषाधिकार हनन**

कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, किसी सदस्य या सदन या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार हनन से संबंधित प्रश्न उठा सकता है। यदि अनुमति दी जाती है, तो सदन मामले पर विचार कर सकता है और निर्णय पर पहुँच सकता है या विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है।

**सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्र**

इससे तात्पर्य है, संविधान के प्रावधानों या प्रक्रिया नियमों या अध्यक्ष के निर्देश या संसद के अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य या महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से संसदीय कागज-पत्रों या दस्तावेजों को सदन के रिकार्ड में लाने के लिए संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखना।

**विशेषाधिकार प्रस्ताव**

- यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत तथ्य देकर सदन या उसके सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है ।
- इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है।
- यह राज्य सभा एवं लोक सभा, दोनों में पेश किया जा सकता है।

**शून्यकाल**

- यह एक निर्धारित अवधि को संदर्भित करता है जो लोक सभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होती है और तब तक चलती है जब तक दिन की कार्यसूची या नियमित कामकाज शुरू नहीं हो जाता। राज्य सभा में यह दिन की बैठक के पहले घंटे के दौरान लिया जाता है।
- इसका प्रयोग पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए किया जाता है।
- इस मद का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है, इसलिए यह एक अनौपचारिक साधन है।
- संसदीय कार्यवाही के क्षेत्र में यह एक भारतीय नवाचार है और यह साठ के दशक के प्रारंभ में प्रचलन में आया था।

**ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

- इस प्रस्ताव का उपयोग किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री का ध्यान किसी अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करने तथा उस पर उनसे प्रामाणिक वक्तव्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के पश्चात, सदस्य द्वारा स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा मंत्री अंत में ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
- शून्यकाल की तरह यह भी संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है।
- हालाँकि, शून्यकाल के विपरीत, इसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में किया गया है।

**स्थगन प्रस्ताव**

- इसे संसद में अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी विशिष्ट मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है।
- इसे स्वीकार करने के लिये 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है।
- यह सदन के सामान्य कामकाज में बाधा डालता है। इस प्रकार यह एक असाधारण साधन है।
- इसमें सरकार के खिलाफ़ निंदा का तत्व शामिल है और इसलिए राज्य सभा को इस साधन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- यह प्रस्ताव निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन है:
  - इसमें ऐसा मामला उठाया जाना चाहिए जो निश्चित, तथ्यात्मक, तत्काल और लोक महत्व का हो।
  - इसमें एक से अधिक मामले शामिल नहीं होने चाहिए।
  - इसे हाल ही में घटित किसी विशिष्ट मामले तक सीमित रखा जाना चाहिए।
  - इसे सामान्य शब्दों में तैयार नहीं किया जाना चाहिए।
  - इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।
  - इसमें ऐसे मामले पर चर्चा को पुनर्जीवित नहीं किया जाना चाहिए जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।
  - इसमें कोई ऐसा मामला शामिल नहीं होना चाहिए जो न्यायालय के निर्णय के अधीन हो।
  - इसमें ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठाए जाने चाहिए जिन्हें प्रस्ताव विशेष के माध्यम से अलग से उठाया जा सकता है।

**अल्पावधि चर्चा**

- ऐसी चर्चा के लिए आबंटित समय दो घंटे से अधिक नहीं होगा। इसलिए, इसे दो घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है।
- संसद के सदस्य तत्काल लोक महत्व के मामले पर ऐसी चर्चा का प्रस्ताव कर सकते हैं।
- अध्यक्ष ऐसी चर्चाओं के लिए सप्ताह में दो दिन आबंटित कर सकते हैं।
- ऐसी चर्चाओं के लिए सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है।

**आधे घंटे की चर्चा**

- इसका उद्देश्य पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर चर्चा करना है, जो हाल ही में मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके उत्तर को किसी तथ्यात्मक मामले के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।
- अध्यक्ष ऐसी चर्चाओं के लिए सप्ताह में तीन दिन आबंटित कर सकते हैं।
- ऐसी चर्चाओं के लिए सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है।

**लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले**

- ऐसा मामला जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है या जिसे सदन के किसी नियम के तहत अन्य तरीकों का उपयोग करके नहीं उठाया जा सकता है, उसे लोक सभा में नियम 377 के तहत नोटिस (उल्लेख) के तहत उठाया जा सकता है।
- यह राज्य सभा में ऐसे ही प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष उल्लेख साधन के समतुल्य है।
- संबंधित मंत्री, जिनसे विषयवस्तु संबंधित है, सदन में मामले को उठाए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर सदस्यों को उत्तर देता है।

**राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**

- ऐसा मामला जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है या जिसे सदन के किसी नियम के तहत अन्य तरीकों का उपयोग करके नहीं उठाया जा सकता है, उसे राज्य सभा में विशेष उल्लेख के तहत उठाया जा सकता है।
- लोक सभा में इसके समतुल्य प्रक्रियात्मक उपकरण को 'नियम 377 के तहत नोटिस (उल्लेख)' के रूप में जाना जाता है। संबंधित मंत्री, जिनसे विषयवस्तु संबंधित है, सदन में मामले को उठाए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर सदस्यों को उत्तर देता है।

**अविश्वास प्रस्ताव**

- यह प्रस्ताव लोक सभा में सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है।
- यह प्रस्ताव अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के अनुसार पेश किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सरकार केवल तभी तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोक सभा के सदस्यों के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहता है।
- इसे केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है।
- इसे स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

यदि लोक सभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देते हैं तो इस पर बहस की जाती है और फिर मतदान के लिए रखा जाता है। यदि यह सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

**निंदा प्रस्ताव**

- यह प्रस्ताव सरकार की कुछ नीतियों को अस्वीकार करने के लिए पेश किया जाता है।
- यह सरकार की "चूक" के लिए उसकी निंदा करने की मांग करता है।
- इसे केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं।
- निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतर इस प्रकार देखा जा सकता है:
-

| **निंदा प्रस्ताव** | **अविश्वास प्रस्ताव** |
|---|---|
| इसमें इसे स्वीकृत करने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए | इसमें स्वीकृत करने के कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं है। |
| यह किसी एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। | इसे केवल सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है। |
| यह विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए पेश किया जाता है। | यह मंत्रिपरिषद में लोक सभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है। |
| यदि प्रस्ताव लोक सभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। | यदि प्रस्ताव लोक सभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। |

**धन्यवाद प्रस्ताव**

- प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति पिछले वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में 'धन्यवाद प्रस्ताव' के माध्यम से चर्चा की जाती है।
- चर्चा के अंत में प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है।
- यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए अन्यथा यह सरकार की हार होगी।

**संकल्प**

- संकल्प सामान्य लोक हित के मामलों की ओर सदन या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक औपचारिक वक्तव्य या प्रस्ताव होता है।
- किसी संकल्प पर चर्चा पूर्णतः प्रासंगिक तथा संकल्प की विषयवस्तु के दायरे में ही होती है।

- कोई सदस्य जिसने कोई संकल्प या संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे सदन की अनुमति के बिना वापस नहीं ले सकता।
- संकल्पों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

**गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प**

- यह एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- इस पर केवल वैकल्पिक शुक्रवार को दोपहर की बैठकों में चर्चा की जाती है।

**सरकारी संकल्प**

- यह एक मंत्री द्वारा लाया जाता है।
- इसे सोमवार से गुरुवार तक किसी भी दिन लिया जा सकता है।

**सांविधिक संकल्प**

- इसे किसी गैर सरकारी सदस्य या मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है।
- इसे सदैव संविधान के किसी प्रावधान या संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किया जाता है।

| **संकल्प और प्रस्ताव के बीच अंतर** |
| --- |
| सभी संकल्प मौलिक प्रस्ताव ही होते हैं। सभी प्रस्ताव मौलिक नहीं हो सकते। सभी प्रस्तावों पर मतदान होना आवश्यक नहीं है। सभी संकल्पों पर मतदान होना आवश्यक है। |

## विधायी कार्य (कानून बनाना)

संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। 'कानून' शब्द में कानून का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, उप-नियम, विनियमन, अधिसूचना, प्रथा या आचरण शामिल है। सभी विधायी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाए जाते हैं। विधेयक एक मसौदा क़ानून होता है और कोई भी विधेयक, चाहे वह सरकार द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया गया हो, तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसे संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त न हो और राष्ट्रपति की मंज़ूरी न मिल जाए। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे मंज़ूरी दे दी जाती है, तो वह कानून बन जाता है।

### विधेयकों के प्रकार

संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयकों को सरकारी विधेयक और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि वे किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रायोजित होते हैं। उनकी विषय-वस्तु के आधार पर, विधेयक निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

(क) मूल विधेयक या नए प्रस्तावों, विचारों या नीतियों को शामिल करने वाले विधेयक;
(ख) संशोधन विधेयक या ऐसे विधेयक जो मौजूदा कानूनों को सुधारना, संशोधित या पुनरीक्षित करना चाहते हैं;
(ग) समेकन विधेयक या ऐसे विधेयक जो किसी विशेष विषय पर विद्यमान कानूनों को समेकित करने का प्रयास करते हैं;
(घ) समाप्त हो रहे कानून (निरंतरता) विधेयक या समाप्त हो रहे अधिनियम को जारी रखने के लिए विधेयक;
(ङ) निरसन विधेयक या विद्यमान अधिनियमों को निरस्त करने की मांग करने वाले विधेयक;
(च) अध्यादेशों का स्थान लेने वाले विधेयक; और
(छ) संविधान (संशोधन) विधेयक।

कराधान एवं विनियोग संबंधी धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक, अपनी खास विशेषताओं के कारण, अन्य विधेयकों से अलग माने जाते हैं।

## सरकारी विधेयक

### विधायी प्रस्तावों की शुरुआत

सरकारी विधायी प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा या किसी मंत्रालय के मंत्री द्वारा आरंभ किए जाते हैं। हालाँकि, सभी मामलों में, जैसे ही विधायी प्रस्ताव का विचार आता है, संबंधित मंत्रालय इसके निहितार्थों पर काम करता है, जैसे - राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, आर्थिक या सामाजिक। यदि सरकार के अन्य मंत्रालयों या राज्य सरकारों से किसी भी तरह का संबंध होता है तो उनकी सलाह को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ आवश्यक हो, विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है। समस्या के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जाँच विधि और न्याय मंत्रालय या भारत के महान्यायवादी के परामर्श से की जाती है। प्रस्ताव की सभी दृष्टिकोणों से पूरी तरह से जाँच करने और इससे संबंधित लोगों से परामर्श करने के बाद, एक स्वत: स्पष्ट ज्ञापन तैयार किया जाता है, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय

द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल अपनी चर्चा को प्रस्ताव में अंतर्निहित नीति के व्यापक पहलुओं तक सीमित रखता है और अपना निर्णय देता है।

**विधेयकों का मसौदा तैयार करना**

मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, प्रशासनिक मंत्रालय विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रारूपकार को कागजात भेजता है। विधेयक के किसी विशेष प्रावधान के लिए वह जो शब्द और वाक्यांश चुनता है, उससे आशय पूरी तरह स्पष्ट और बिना किसी अस्पष्टता के व्यक्त होना चाहिए। उसका संबंध केवल विधेयक के स्वरूप और उसके शब्दों से ही नहीं होता; उसे यह भी देखना चाहिए कि यह सरल, प्रभावी और औसत योग्यता वाले लोगों द्वारा आसानी से समझा जा सके।

**विधेयक का पारित किया जाना**

किसी भी सदन में किसी विधेयक के पारण में तीन वाचन शामिल होते हैं।

**प्रथम वाचन**

विधायी प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन - राज्य सभा या लोक सभा में विधेयक के पुर:स्थापन के साथ शुरू होती है। धन विधेयक [अर्थात् ऐसे विधेयक जिनमें केवल करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन के लिए, संचित निधि से धन के विनियोजन और संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट अन्य मामलों के लिए प्रावधान होते हैं] और वित्तीय विधेयक जिनमें अनुच्छेद 110 के साथ-साथ अन्य मामलों के प्रावधान होते हैं, उन्हें केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है।

विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए अनुमति मांगना आवश्यक है। यदि सदन द्वारा अनुमति दी जाती है, तो विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है। यह विधेयक का पहला वाचन होता है। आमतौर पर, पुर:स्थापन के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे अवसर आए हैं जब सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के पुर:स्थापन के प्रस्तावों का विरोध किया गया है। विधेयक में केवल ऐसी विषयवस्तु संसद के समक्ष लाई जानी चाहिए जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है।

**दूसरा वाचन**

दूसरे वाचन में विधेयक पर विचार किया जाता है जो दो चरणों में होता है। पहले चरण में विधेयक पर समग्र रूप से चर्चा की जाती है, जब केवल विधेयक के सिद्धांतों और उसके प्रावधानों पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है। इस चरण में सदन के पास यह विकल्प होता है कि वह विधेयक को सदन की प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे या उस पर राय जानने के उद्देश्य से उसे परिचालित करे या सीधे उस पर विचार करे।

**प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष विधेयक**

किसी विधेयक को प्रवर/संयुक्त समिति को भेजे जाने की स्थिति में, समिति विधेयक पर उसी तरह खंडश: विचार करती है जैसे सदन करता है। समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न खंडों में संशोधन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। समिति उन संघों, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों का साक्ष्य भी ले सकती है जो विधेयक में रुचि रखते हैं। इस प्रकार विधेयक पर विचार किए जाने के पश्चात, समिति सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है और सदन समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार करता है।

**राय जानने के लिए विधेयक का परिचालन**

विधेयक पर जनता की राय जानने के उद्देश्य से परिचालित किया जा सकता है और राय राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

जहां किसी विधेयक को राय जानने के लिए परिचालित किया गया है और जहां राय प्राप्त हो गई है और सदन के पटल पर रख दी गई है, वहां विधेयक के संबंध में अगला प्रस्ताव उसे प्रवर/संयुक्त समिति को भेजने के लिए होना चाहिए। इस स्तर पर विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करना आमतौर पर स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि पीठासीन अधिकारी इसकी अनुमति न दे।

**खंडश: विचार**

दूसरे वाचन के दूसरे चरण में विधेयक पर पुर:स्थापित किए गए रूप में या प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडश: विचार किया जाता है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और इस चरण में खंडों में संशोधन पेश किए जा सकते हैं। यदि किसी संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या सिफारिश की आवश्यकता होती है, तो ऐसा संशोधन देने वाला सदस्य उसे अपने नोटिस में संलग्न करेगा जो अन्यथा वैध नहीं होगा। प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक खंड को सदन में मतदान के लिए रखा जाता है। यदि संशोधन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह विधेयक का हिस्सा बन जाता है। सदन द्वारा खंडों, अनुसूचियों, यदि कोई हो, अधिनियमन सूत्र, विधेयक का दीर्घ शीर्षक और संक्षिप्त शीर्षक अपनाए जाने के बाद, दूसरा वाचन समाप्त माना जाता है।

**तीसरा वाचन**

इसके बाद, प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि विधेयक (या यथासंशोधित विधेयक) पारित किया जाए। इस चरण को विधेयक का तीसरा वाचन कहा जाता है। इस चरण में बहस अधिक विवरण का उल्लेख किए बिना विधेयक के समर्थन या अस्वीकृति के लिए तर्कों तक ही सीमित होती है। इस चरण में केवल औपचारिक, मौखिक या परिणामी संशोधनों की अनुमति होती है। साधारण विधेयक पारित करते समय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है।

**संविधान संशोधन विधेयक**

संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया जा सकता है और इसे प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।

जब कोई विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे लोक सभा में सहमति के लिए इस आशय के संदेश सहित भेजा जाता है।

**दूसरे सदन में पुर:स्थापन/विचारण के पश्चात राज्य सभा को भेजा गया विधेयक**

लोक सभा द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, उसे राज्य सभा में सहमति के लिए इस आशय के संदेश सहित भेजा जाता है और यथाशीघ्र उसे सभा पटल पर रखा जाता है। यह राज्य सभा में भी उन्हीं चरणों से गुजरता है अर्थात विचारण, पारण और लौटाना। धन विधेयकों के संबंध में, लोक सभा को कानून बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है और राज्य सभा केवल उसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है और उसे ऐसे विधेयक को लोक सभा को विधेयक की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर वापस भेजना होगा। धन विधेयक के संबंध में यह लोक सभा पर निर्भर करता है कि वह राज्य सभा द्वारा की गई किसी सिफारिश को या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करे। अतीत में, तीन अवसरों पर राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशें लोक सभा द्वारा स्वीकार की गई हैं। यदि लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया कोई धन विधेयक चौदह दिन की उक्त अवधि के भीतर लोक सभा में प्राप्त नहीं होता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

**दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक पर विचार**

यदि धन विधेयक और संविधान (संशोधन) विधेयक के अलावा एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, या दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में अंततः असहमत हो जाते हैं, या दूसरे सदन द्वारा विधेयक प्राप्त किए जाने की तिथि से छह महीने से अधिक समय बीत जाता है और विधेयक पारित नहीं होता है, तो राष्ट्रपति गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित माना जाता है, जिसमें इसे संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के केवल तीन उदाहरण हैं। पहली संयुक्त बैठक मई, 1961 में हुई थी जिसमें दहेज निषेध विधेयक, 1959, जिस पर दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में अंततः असहमत थे, पारित किया गया था। दूसरी बैठक मई, 1978 में हुई, जिसमें राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 को पारित किया गया था। तीसरी संयुक्त बैठक 26 मार्च, 2002 को हुई थी जिसमें राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत किए गए आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2002 को पारित किया गया था। दहेज निषेध विधेयक, 1959 पर 1961 में सदनों की पहली संयुक्त बैठक में राज्य सभा द्वारा दिए गए कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया था और संयुक्त बैठक में पारित विधेयक में शामिल कर लिया गया था।

**गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक**

मंत्री के अलावा कोई सदस्य जो विधेयक पेश करना चाहता है उसे विधेयक पेश करने की अनुमति के प्रस्ताव की सूचना देनी होती है और उसे विधेयक की एक प्रति तथा उद्देश्यों और कारणों का व्याख्यात्मक कथन, जिसमें तर्क नहीं होंगे, सूचना के साथ प्रस्तुत करना होता है। ऐसे विधेयकों पर केवल उन्हीं दिनों विचार किया जा सकता है जो दिन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के निष्पादन हेतु आबंटित किए गए हों। प्रत्येक शुक्रवार को बैठक के अंतिम ढाई घंटे आमतौर पर गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आबंटित किए जाते हैं और वैकल्पिक शुक्रवार गैर सरकारी  सदस्यों के विधेयकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, अन्य शुक्रवार गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए समर्पित होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का मसौदा तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित सदस्यों की होती है। परंपरा के अनुसार, विधेयक पेश करने के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में विधेयक पेश करने का विरोध किया गया था। यदि किसी गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के पुर:स्थापन का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि विधेयक राज्य सभा की विधायी क्षमता के बाहर कानून बनाने की शुरुआत करता है तो माननीय सभापति उस पर पूरी चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने में एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक सरकारी विधेयक की तरह ही आगे बढ़ता है। वर्ष 1952 से अब तक 14 गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक क़ानून की किताब में अपना स्थान बना चुके हैं।

**राष्ट्रपति की स्वीकृति**

जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो सदन का सचिवालय, जिसके पास विधेयक सबसे अंत में होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है। धन विधेयक या सदनों की संयुक्त बैठक में पारित विधेयक के मामले में, लोक सभा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही विधेयक अधिनियम बनता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। राष्ट्रपति विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को अपनी सिफारिशों के साथ सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकते हैं और यदि सदन संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को फिर से पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देनी ही पड़ती है।

ऐसे विधेयक के मामले में जो संविधान के अनुच्छेद 368 की शर्तों के अनुसार संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करने की मांग करता है, दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित विशेष बहुमत से पारित कर दिए जाने तथा संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक द्वारा अपेक्षित होने पर राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होती है।

## वित्तीय मामले
## धन विधेयक और वित्तीय विधेयक

**धन विधेयक**

संविधान के अनुच्छेद 110 में यथा परिभाषित धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल खंड (1) में वर्णित सभी या किसी विषय से संबंधित प्रावधान होते हैं।
इसमें वर्णित बातें इस प्रकार हैं:

(क) किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन;
(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले किसी वित्तीय दायित्व के संबंध में कानून में संशोधन;
(ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, किसी ऐसी निधि में धन का भुगतान या उसमें से धन का आहरण;
(घ) भारत की संचित निधि में से धनराशि का विनियोजन;
(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;
(च) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका जारी किया जाना या संघ या राज्य के लेखाओं की लेखापरीक्षा; या
(छ) उप-खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय से आनुषंगिक कोई विषय।

तथापि, अनुच्छेद 110 का खंड (2) यह स्पष्ट करता है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा लाइसेंसों के लिए फीस की मांग या संदाय का अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस का उपबंध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह स्थानीय प्रयोजन हेतु किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है।

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

धन विधेयक के प्रत्येक मामले में, विधेयक को राज्य सभा में भेजे जाने अथवा राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक सभा अध्यक्ष उस पर अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र पृष्ठांकित करता है कि यह धन विधेयक है। यह प्रमाणपत्र केवल अध्यक्ष द्वारा ही पृष्ठांकित किया जा सकता है, जब तक कि अध्यक्ष का पद रिक्त न हो।

राज्य सभा में धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया वही है, जो लोक सभा द्वारा प्रेषित अन्य विधेयकों के मामले में होती है, अंतर केवल यह है कि अन्य विधेयकों के मामले में संशोधनों को स्वीकार किया जाता है तथा अंतिम प्रस्ताव यह होता है कि विधेयक पारित किया जाए, जबकि धन विधेयकों के मामले में संशोधनों की सिफारिश की जाती है तथा अंतिम प्रस्ताव यह होता है कि विधेयक को लौटाया जाए।

इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर, धन विधेयक को लोक सभा को इस संदेश के साथ लौटाया जाता है कि राज्य सभा के पास विधेयक के संबंध में सदन को देने के लिए कोई सिफारिश नहीं है, अथवा सदन को अनुशंसित संशोधनों की जानकारी देने वाले संदेश के साथ, जैसा भी मामला हो, लौटाया जाता है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत लोक सभा के पास राज्य सभा की सभी अथवा किसी भी सिफारिश को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प होता है। तथापि, विधेयक को राज्य सभा द्वारा प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन की अवधि के भीतर वापस करना पड़ता है, अन्यथा उक्त अवधि की समाप्ति पर इसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

**वित्तीय विधेयक - श्रेणी-I**

संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अंतर्गत आने वाले विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। यह एक ऐसा विधेयक होता है जो अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उप-खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी विषय के साथ-साथ अन्य विषयों का प्रावधान करने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों की विशेषताएं होती हैं। धन विधेयक के मामले में, सबसे पहले, इसे राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। इन दो मतभेदों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में वित्तीय विधेयक किसी भी अन्य साधारण विधेयक की तरह ही होता है।

**वित्तीय विधेयक - श्रेणी-II**

एक और श्रेणी के विधेयक होते हैं जो अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्तीय विधेयक भी होते हैं। ऐसे विधेयक पहले उल्लिखित धन विधेयकों और वित्तीय विधेयकों की तुलना में साधारण विधेयकों की प्रकृति के अधिक होते हैं। वित्तीय विधेयकों की इस श्रेणी और साधारण विधेयकों के बीच एकमात्र अंतर यह होता है कि इस श्रेणी के वित्तीय विधेयक को यदि अधिनियमित और लागू किया जाता है, तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है और इसे संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस सदन को विधेयक पर विचार करने की सिफारिश न कर दें। अन्य सभी मामलों में विधेयकों की यह श्रेणी साधारण विधेयकों की तरह ही होती है।

*****